


फरद अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

विष्णु कुमार बनाम रुन्मान (कौश)

दिसम्बर मुकदमा नं० ११-५३ १११-१२४ नं० १७ तारीख २०२१

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशपल्स जज	नामदर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख से जारी हुए
-7-21	<p>साद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो ।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p> <p>उभय पक्ष उपस्थित पीलासीन अधिकारी सार्वभौमिक कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.9.21 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
1-11-21	<p>पत्रावली प्रशासन गानो के सेग अभियान 20 21 केम्प आवडी मे पेश हुई, अग्रणीयण के लम्पन बाद तामिल होकर प्राल डुए जिले शा. फा को गेया पत्वार हक्का डाल माँके विकरि प्राप्त डुए जिले शा. फा किका गया। प्रार्थनापत्र का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरगि सुधक से लिखा जाकर शा. फा किका गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो</p> <p><i>(Signature)</i> डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन सेवा के संग अभियान 2021</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 97/21 ग.पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री विष्णु कुमार S/O श्री रामपाल हरिजन निवासी - गाण्डन तहसील - माण्डल - प्रार्थी (कल)

बनाम
1- श्री पद्मनाभ S/O श्री शंका जाट निवासी - उमरेपुरा तहसील - माण्डल (कल)
-- विपक्षीगण (शुद्धाक्षी 9) (कल)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 1.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उमरेपुरा पटवार हल्का तोतदी तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 11, 12, 3, 4 कुल किता 04 रकबा 1.2773 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.7.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उमरेपुरा पटवार हल्का तोतदी तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 11, 12, 3, 4 कुल किता 04 रकबा 1.2723 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक हिता को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

मांडल, जिला - भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी ना

मांडल, जिला - भीलवाड़ा डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021